-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 28.08.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना बिसण्डा पुलिस द्वारा अवैध स्मैक के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार । अभियुक्त के कब्जे से लगभग साढे पांच लाख रुपए कीमत की अवैध स्मैक बरामद ।**
- **अभियुक्त द्वारा मोटर साइकिल से गांव-गांव जाकर अवैध स्मैक की महगें दामों पर की जाती थी बिक्री । परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व 47.1 ग्राम स्मैक बरामद ।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा जनपद बांदा को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन ईगल" के क्रम में थाना बिसण्डा पुलिस द्वारा अवैध स्मैक के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गौरतलब हो कि दिनांक 27/28.08.2026 की देर रात्रि थाना बिसण्डा पुलिस द्वारा रक्षाबंधन त्यौहार के दृष्टिगत की जा रही गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त धर्मराज पुत्र बच्चा निवासी सहेवा थाना गिरवां जनपद बांदा को ग्राम बिलगांव ,खुरहण्ड रोड थाना बिसण्डा से अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है । जिसकी अनुमानित कीमत 5.5 लाख रुपए है । तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से कुल 47 .1 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है । पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह संजय नशीला से स्मैक खरीदकर मोटरसाइकिल से गांव गांव जाकर महगें दामों में बेचता है । पुलिस द्वारा बरामद अवैध स्मैक व मोटरसाइकिल को कब्जे में लेकर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया ।

बरामदगी-

- 47.1 ग्राम स्मैक ।
- एक मोटरसाइकिल (परिवहन में प्रयुक्त)
- एक मोबाइल फोन

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. धर्मराज पुत्र बच्चा निवासी ग्राम सहेवा थाना गिरवां जनपद बांदा

फरार अभियुक्त-

1. संजय नशीला उर्फ छंगू मास्टर पुत्र नवल किशोर निवासी भूरा डेरा ,कनवारा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 399/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बिसण्डा जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष बिसण्ड़ा श्री चन्द्र प्रकाश तिवारी
2. चौकी प्रभारी बिलगांव श्री गौरव कुमार मिश्रा
3. हे0कां0 जितेन्द्र सिंह
4. कां0 संगम यादव
5. म0कां0 शालू यादव